

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीतासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 13 सन 2022

अनवान :-

1. जगदीशसिंह 2. धन्नेसिंह 3. भगवानसिंह 4. विजयसिंह पि० बालुसिंह जाति राजपूत निवासी चक 14 डीपीएन समगढ़ तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री ओम शंकर मेदर अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 26/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एन.ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 60/60 की कुल 6.3250 हैव भूमि प्रार्थीगण एव उनकी माता जयानी के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय प्रार्थीगण का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु प्रार्थीगण निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

प्रार्थीगण का निवास स्थान लालारसर जिला चुरू है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का निवास स्थान चक 14 डीपीएन समगढ़ तहसील नोहर अंकित है तो गलत है प्रार्थीगण अपना निवास स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान लालारसर जिला चुरू अंकित है।

प्रार्थीगण ने अपने निवास स्थान के समर्थन में आम आदमी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र, पेश किया जिनमें प्रार्थीगण का निवास स्थान लालारसर जिला चुरू दर्ज है।

प्रार्थीगण का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है प्रार्थीगण का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिये प्रार्थीगण अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का निवास स्थान संशोधन करने के आदेश फरमाने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेशोकर राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 60/60 की कुल 6.3250 हैव भूमि प्रार्थीगण एव उनकी माता जयानी के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय प्रार्थीगण का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु प्रार्थीगण निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

2
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थीगण का निवास स्थान चक 14 डीपीएन रामगढ है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का निवास स्थान लालासर जिला चुरु अंकित है तो गलत है प्रार्थीगण अपना निवास स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान चक 14 डीपीएन रामगढ तहसील नोहर अंकित है ।

प्रार्थीगण ने अपने निवास स्थान के समर्थन में आम आदमी का आधार कार्ड , भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र , पेश किया जिनमें प्रार्थीगण का निवास स्थान चक 14 डीपीएन रामगढ तहसील नोहर दर्ज है ।

प्रार्थीगण का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है प्रार्थीगण का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिये प्रार्थीगण अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया की रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 60/60 की कुल 6.3250हैक् भूमि बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है ।

प्रार्थीगण का कथन है प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है किन्तु निवास स्थान गलत तौर से दर्ज है जिसे सही करवाना चाहता है ।

प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में आम आदमी का आधार कार्ड , भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र पेश किया जिनमें प्रार्थीगण का निवास स्थान चक 14 डीपीएन रामगढ अंकित है एवं निवास स्थान के समर्थन में स्वयं ने शपथ पत्र अर्थात प्रार्थीगण के प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थीगण का निवास स्थान चक 14 डीपीएन रामगढ होना प्रतीत होता है प्रस्तुत साक्ष्यों/सबुतो के अधार प्रार्थीगण का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जा सकता है संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 60/60 की कुल 6.3250हैक् भूमि में प्रार्थीगण का निवास स्थान लालसर जिला चुरु अंकित है के स्थान पर चक 14 डीपीएन रामगढ संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/02/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

ब्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/617

दिनांक :- 25/02/2022

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 13/2022 अनवानी जगदीश सिंह बनाम सरकार
में संशोधित आदेश की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. जगदीश सिंह 2. धन्नेसिंह 3. भगवानसिंह 4. विजयसिंह पि०
बालुसिंह जाति राजपूत निवासी चक 14 डीपीएन रामगढ
जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला
हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 13/2022 अनवानी जगदीशसिंह
बनाम सरकार में दिनांक 25/02/22 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 60/60 की कुल 6.
3250हैक भूमि में प्रार्थीगण का निवास स्थान लालसर जिला चुरू अंकित है के स्थान पर चक
14 डीपीएन रामगढ संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व
रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)